

रतनपुरा

FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

17-6-21

22-5-10

2019/0328

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गीतादेवी बनाम् भूमिधारी तहसीलदार वगै०

किस्म मुकदमा:- इजराय

मुकदमा नम्बर:- 7/2018

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09.03.2018 | वकील डिकीदार ने उपस्थित होकर इजराय पेश की। इजराय दर्ज रजिस्टर की जावें। न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी की पालना अपीलीय/अन्य किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं हो तो तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 22.05.2018 को पेश हो। | |
| 17.06.2021 | <p>GM-</p> पत्रावली तारीख पेशी से गिरकर आज पेश हुई। प्रकरण में राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अवगत कराया कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित डिकी व निर्णय की पालना जरिये नामान्तरण संख्या 1510 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जा चुका है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से प्रकरण इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। | <p>उपरोक्त इजराय आदेश की पालना में नामा.सं.- 1510/दि.03.04.2018 दर्ज कर अमल दामद किया गया। 11.06.2021 (NDR/SMPR) नायब पैरोकार</p> |

(लक्ष्मीकान्त गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

